

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



P19/IV/DRSSA/208444

03.01.2025

To

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness allowance 53% instead of 50% to such pensioners of Uttarakhand State government pensioners whose pension has been revised with the recommendation of seventh pay commission, government of Uttarakhand-reg.

Ref: 1)Government of Uttarakhand Finance(pension)section 10, No 250643/XXVII(10)/E-22807/2022Dehradun dated 29.10.2024

 SSA Letter No P.A/Pension/Uttarakhand Government Order/DR-91/2024-25 dated 21/11/2024 received from the office of The Accountant General (A&E), Uttarakhand

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension - download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully

Senior Accounts Officer

Copy to:-

- The Director of Treasuries
 Thiruvananthapuram
- The Office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand Dehradun-248195
 For Information.

Senior Accounts Officer

ई-मेल/Email: agaekerala@cag.gov.in

फेल्स/Fax: 0471-2330242

चेवसाइट/Website : http://www.agker.cag.gov.in

दूरभाष/Telephone: 0471-2776100

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखंड

380009

793001

781029

834002

800001

695039

474002

600018

400020

440001

560001

751001

160017

160047

171003

302005

226010

211001

700001

190009

795001

799006

797001

492111

796001

737102

110124

403101

605001

791110

520001

500004

रम

प्रयागराज

लखनऊ

कोलकाता

श्रीनगर

इम्फाल

अगरतला

कोहिमा

रायपुर

आइजोल

गंगटोक

नई दिल्ली

पणजी

पोंडीवेरी

नाहरतागन

विजयवाडा

हेदराबाद

उत्तरप्रदेश

प्रयागराज

पश्चिम बंगात

जम्मू कश्मीर

मणिपुर

त्रिप्रा

नागातेंड

छत्तीसगढ

मिज़ोरम

सिविकम

नई दिल्ली

गोवा

पोडीबेरी

अरुणाचल प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश

तेलगाना

पिन कोड

| Si G | | "महालेखाकर भवन" कै | लागढ़, देहरादून - 2 | 48195 |
|-------------|----------------------|--|---------------------|-------------|
| 6,0 | | फोन:0135-2970866, 2970867 होन:0135-2970866, 2970867 होन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी॰ अन्य: 91/2024-25 | 1373 Pigli | (DR857) |
| 130 | सेवा में, क्र.सं. | कार्यालय का नाम | 2व । राज्य | राजधानी |
| DESSA NESSA | क्र.स. | प्रधान महालेखाकार (लेखा इव इकटारी) | गुजरात | अहमदाबाद |
| | 1 | प्रधान महालेखाकार (तेखा एवं इकटारी) | मेघालय | शिलोंग |
| | 2 | प्रधान महालेखाकार (लेखा दर हक्वारी) | असम | गुवाहाटी |
| | 3 | प्रधान महातेखाकार (लेखा रव हकदारी) | झारखण्ड | रांची |
| | 4 | प्रधान महातेखाकार (तेक स्व इक्छारी) | विहार | पटना |
| | 5 | प्रधान महालेखाकार (लेखा वह सकदारी) | केरत | तिरुवनंतपुर |
| | 6 | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं इकदारी) | मध्य प्रदेश | म्वातियर |
| | 7 | | तमिलनाडु | चेत्रई |
| | 8 | प्रधान महालेखाकार (तैया एवं हरूदारी) | महाराष्ट् | मुम्बई |
| | 9 | प्रधान महालेखाकार (तेखा हा हकदारी) | महाराष्ट् | नागपुर |
| | 10 | महालेखाकार (लेखा एवं इकटरी)-। | कर्नाटक | बेंगलुरु |
| | 11 | प्रधान महालेखाकार (तेखा टर इकदारी) | उडीशा | भुवनेश्वर |
| | 12 | प्रधान महातेखाकार (लेखा इव इकदारी) | पंजाव | चंडीगढ |
| | 13 | प्रधान महातेखाकार (तेखा एवं हकदारी) | हरियाणा | चंडीगढ |
| | 14 | प्रधान महातेखाकार (लेखा रहे हरूदारी) | | शिमता |
| | 15 | प्रधान महालेखाकार (लेखा 🖂 इकदारी) | हिमाचल प्रदेश | जयपुर |
| | 16 | प्रधान महालेखाकार (लेखा हव हकदारी) | राजस्थान | ~431 |

प्रधान महालेखाकार (लेखा इव इकदारी)-।

प्रधान महालेखाकार (लेखा 🕫 हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा इब हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

वेतन एवं लेखाधिकारी -v, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखा 🚎 हकदारी)-॥ गोमती नगर



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखंड "महालेखाकार भवन" कौलागढ़ देहरादून-248195

(फोन:- 0135-2970866, 2970867, फैक्स:- 0135-2970859)

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश डी०आर०-91/2024-25/

देनांक: /11/2024

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार (महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय-1: राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी हैं, को दिनांक: 01.07.2024 से 50% के स्थान पर 53% मंहगाई राहत की स्वीकृति।

सन्दर्भ:- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या:-250643/XXVII (10) E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 29.10.2024 |

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि ।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन वित्त (पेंशन) अनुभाग—10 संख्या: 250643/ XXVII(10) E-22807/2022 देहरादुन: दिनांक: 2935-24 2024

कार्यालय ज्ञाप

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 7वें वेतनमान आयोग की संस्कृतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विमाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—199033/XXVII(7)/E-22807/2022, दिनांक—14 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए, दिनांक 01.07.2024 से 50% के स्थान पर 53% की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाघीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विमागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। Government of Uttarakhand Finance (Pension) Section-10 No- 25@693/XXVII(10)/E-22807/2022 Dehradun: Dated 29 October, 2024

G112/29.x-21

Office Memorandum

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01.07.2024 @ 53% instead of 50% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 199033/XXVII(7)/ E-22807/2022 Dated 14 March, 2024 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

- 2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
- 3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

- 4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए -1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महगाई राहत का मुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- मंहगाई सहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

Signed by Dilipplawalkaffवलकर) Date: 29-**40**-2024 11:43:26

朝田 2.5 (05) XXVII(7VE-22807/2022, 可可を明確)

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । 1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।

- समस्त अपर मुख्य सथिव/प्रमुख सथिव/ सचिव उत्तराखण्ड शासन।
- 3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विमाग/शहरी विकास विमाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय रिखति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/ उपक्रम के कार्मिकों को महगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ख्या निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष.
 उत्तराखण्ड।
- ह. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा

- 4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Dilip Jawalkar) Secretary.

No.25Reff XXVIIITVE-228FF-2822, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action. 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.

- 2- All Additional Chief Secretaryies/ Principal Secretaries Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary,
 Public Industry Development
 Department/Urban Development, Govt. of
 Uttarakhand with the request that the
 admissibility of dearness relief may be
 permitted itself in the view of financial status
 of the bodies/undertaking and there is no
 need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request

प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- निदेशक, कोषागार, पॅशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
- निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रीड, डालनवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से.

(अमिता जोशी) अपर सचिव। that account officers of other states be also informed please.

- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

By Order,

(Amita Joshi) Additional Secretary.